ISSN NO : 229-6661 (PRINT)

SAMBODHI

A Quarterly Peer Reviewed, Refereed Research Journal
Vol-43 No.-04 (XII) October-December (2020) UGC
Care Listed Journal

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY

Sambodhi
(UGC Care Journal)
ISSN : 2249-6661
Vol - 43 No. - 04 (XII) October-December (2020)

कश्मीर मुद्दा और धारा 370

डॉ.राजेश रसाल
हिंदी विभाग
ए एम कॉलेज,हड़पसर,
पुणे,२८

धारा 370 और आर्टिकल 35 A के इतिहास को यदि हम समझ लें तो यह बात आसान होजाएगी कि कश्मीर की स्थिति क्या है ?दरअसल जब अंग्रेज अपने उपनिवेशों कोछोड़कर जा रहे थे तब उन्होंने भारत के भी दो हिस्से करने की योजना बनाई औरउन्होंने उसे सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया ।गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारतीय संविधान के पहले का संविधान है ।इस एक्ट के सेक्शन 311 में भारत कीपरिभाषा लिखी है जिसमें यह बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंगप्रिंसली स्टेट्स यानी भारत जो है वह ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्सको मिलाकर है ।कहने का तात्पर्य यह है कि जब पासपोर्ट बनता था तो आपकोब्रिटिश इंडिया से लेना पड़ता था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब अंग्रेज भारतछोड़कर जा रहे थे तो रियासत को छोड़कर नहीं जा रहे थे । जब रियासतें भारतमें ही थीं तो विलय का कोई मतलब ही नहीं बनता! लेकिन फिर भी विलय काप्रारूप बनाया गया क्योंकि भारत के दो टुकड़े किए गए थे -एक का नामपाकिस्तान और दूसरे का नाम हिंदुस्तान रखा गया था। प्रारूप बनाकर 25 जुलाईसन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में सभी रियासतों को बुलाया गयाऔर उसमें इन सभी रियासतों को बताया गया कि आपको अपना विलय करना है ।वहहिंदुस्तान में करें या पाकिस्तान में ,यह आपका निर्णय है। जाहिर सी बात हैकि माउंटबेटन की इस योजना में किसी भी राज्य को स्वतंत्र रहने का अधिकारनहीं था ।उसे 2 में से किसी एक देश को चुनना था ।उस विलय पत्र को सभा मेंबांट दिया गया और यह विलय पत्र सभी रियासतों के लिए एक ही फॉर्मेट मेंबनाया गया था ,जिसमें कुछ भी लिखना या काटना संभव नहीं था ।बस यही कारण हैकि उस पर रियासतों के प्रमुख राजा या नवाब को अपना नाम, पता ,देश का नाम औरसील लगाकर उस पर दस्तखत करके इसे गवर्नर को देना था और गवर्नर को यहनिर्णय लेना था कि कौन सा राजा किस देश के साथ रह सकता है। 26 अक्टूबर सन 1947 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत कोभारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे ।गवर्नर जनरल माउंटबेटनने इसके आगे और कश्मीर के भारत में विलय के लिए 27 अक्टूबर को इसे मंजूरीदी थी ।इसमें कोई शर्त शुमार नहीं थी ,ना ही रियासत के लिए विशेष दर्जे कीकोई मांग थी। इस दस्तावेज पर दस्तखत होते हैं और समूचा जम्मू और कश्मीर , जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है ,भारत का अभिन्नअंग बन गया।

इसके बाद संविधान बनना शुरू हुआ ।

पहले प्रांत का फिर केंद्र और रियासतों का । संविधान सभा में जबप्रिंसली स्टेट्स को यह कहा गया कि आप स्थानीय आधार पर अपने संविधान बनालीजिए ,क्योंकि केंद्र में संविधान बन रहा है और बाद में हम उसमें यह जोड़देंगे ।ऐसे में वहां के राजाओं ने अपने हितों को ध्यान में रखकर संविधानबनाना प्रारंभ कर दिया जिसके चलते तकलीफ आने लगीऔर बाद में ऐसे में बी .एम.राव और बाद में एम .के .बेलोडी कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने यह निर्णय लियाकि अब यह रियासतों के संविधान होंगे ।बाद में रियासतों के कानून कोसंविधान में जोड़ दिया गया ।

बाद में सरदार पटेल नेकहा कि प्रिंसली स्टेटस और प्रोविजंस कोई अलग नहीं है इसलिए हम इसमें फर्कनहीं चाहते ।हम चाहते हैं कि दोनों के कानून एक ही समान हो तब संविधान सभाने रियासत और राज्य दोनों के ही कानून को मिलाकर एक ही प्रकार के कानूनजोड़ दिए या यूं कहिए कि बना दिए और उन्हें फिर से सभी रियासतों को भेजदिया गया ।सभी राजाओं ने इस पर विचार किया और इसे अपनी स्वीकृति दे दी।राज्य के संविधान में सभी राजाओं ने लिखा कि मैं अपने वंशज और अपने बाद जोमेरा उत्तराधिकारी राज्य में आने वाला है, शासन करने वाला कोई भी व्यक्तिऔर यहां की प्रजा वह सभी भारत के संविधान को स्वीकार करेंगे और भारत कासंविधान यहां लागू होता है मतलब यह कि अब राजा है तो संविधान के द्वाराराजा है अगर संविधान उसे राजा नहीं बताता तो वह राजा नहीं है इसलिए अबभारतीय लोकतंत्र में राजा और प्रजा नहीं रहे प्रजा ही राजा है।तब 25 नवंबरसन 1949

Copyright © 2020 Authors

ISSN : 2249-6661
Vol - 43 No. - 04 (XII) October-December (2020)

को इसे भारत ने अपनाया। लेकिन इसके पहले 17 अक्टूबर सन 1949 को एकऐसी घटना घटी जिसने जम्मू और कश्मीर का इतिहास बदल दिया।

दरअसल संसद में गोपाल स्वामी आयंगर ने खड़े होकर कहा कि हम जम्मूऔर कश्मीर को नया आर्टिकल देना चाहते हैं उनसे जब यह पूछा गया कि आखिरक्यों? तब उन्होंने कहा कि आगे कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है औरइस राज्य के साथ समस्याएं हैं ।आधे लोग उधर फंसे हुए हैं और आधे इधर ,तोअभी वहां की स्थिति अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है। ऐसे में वहां के लिएफिलहाल नए आर्टिकल की जरूरत है क्योंकि अभी जम्मू और कश्मीर में पूरासंविधान लागू करना संभव नहीं होगा ।अस्थाई तौर पर उसके लिए 370 लागू करनाहोगा ।जब हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस धारा को भी हटा दिया जाएगा ।फिलहालवहां धारा 370 से काम चलाया जा सकता है । भारतीय संविधान के 21वें भाग का 370एक अनुच्छेद है ।21वें भाग को बनाया ही गया था अस्थाई प्रावधानों केलिए जिसे बाद में हटाया जा सके ।इस धारा के तीन खंड है- इसके तीसरे खंडमें लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा केपरामर्श से धारा 370 कभी भी खत्म कर सकता है। हालांकि अब तो संविधान सभारही नहीं । ऐसे में राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है ।

जब कोई आर्टिकल या धारा अस्थाई बनाई जाती है तो उस को सीज करने याहटाने की प्रक्रिया भी लिखी जाती है ।उसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफइंडिया जब उचित समझें और उन्हें लगे कि समस्याओं का हल हो गया है या जनजीवनसामान्य हो गया है तो वह उस धारा को हटा सकता है। यहां पर यह बात समझ लेनीचाहिए कि धारा 370 भारत की संसद लेकर आई है और वही इसे हटा सकती है। इसधारा को कोई जम्मू और कश्मीर की विधानसभा या वहां का राजा नहीं लेकर आया जोहटा नहीं सकते हैं। यह धारा इसलिए लाई गई थी क्योंकि तब वहां युद्ध जैसेहालात थे और उधर पी.ओ.के .की जनता पलायन करके इधर आ रही थी ।ऐसे में वहभारत के संपूर्ण संविधान को लागू करना शायद नेहरु जी ने उचित नहीं समझा यानेहरू ने इस संबंध में शेख अब्दुल्ला की बात मान ली होगी ।लेकिन यह भी कहागया कि इसी बीच वहां पर भारत के संविधान का वह कानून लागू होगा जिस परफिलहाल वहां कोई समस्या या विवाद नहीं है ।बाद में धीरे-धीरे वहां भारत केसंविधान के अन्य कानून लागू कर दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सन 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। जिसे दिल्लीएग्रीमेंट का नाम दिया गया ।सन 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओर से एकआदेश पारित किया गया ।उस आदेश के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में भारतीयसंविधान के अन्य प्रावधान लागू किए जाने थे लेकिन उन्होंने अलग से राज्य कोएक कानूनी आदेश दे दिया । ऐसा आदेश जो कि संविधान की मूल भावना के खिलाफथा ।दरअसल किसी राष्ट्रपति को संविधान में कोई धारा जोड़ना या नया कानूनबनाने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि डॉ राजेंद्र प्रसादने नेहरू के कहने पर राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए एक आदेश पारित करदिया था। यह विशेष अधिकार ही आर्टिकल 35A था । यह ऐसा आर्टिकल है जिसकोराष्ट्रपति को बनाने का अधिकार ही नहीं था ।राष्ट्रपति के अधिकार में यह थाकि जम्मू और कश्मीर राज्य में भारत के संविधान के बचे हुए प्रावधानों कोलागू किया जाए लेकिन राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों को लागू करने कीबजाए एक नया आर्टिकल बना दिया, जिसका नाम आर्टिकल 35 ए रखा गया ।कहा जाताहै कि देश का सबसे बड़ा संवैधानिक फ्रॉड है यह ।इसके तहत ही दिए गए अधिकारस्थाई निवासियों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार को यहअधिकार है कि वह आजादी के वक्त दूसरी जगह से आए शरणार्थियों और अन्य भारतीयनागरिकों को जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की सहूलियत प्रदान करें याना करें ।जरूरी बात यह है यहां कि यह आर्टिकल ना तो पी .एम. नेहरू नेकैबिनेट में पास कराया और ना ही इसका संविधान में कोई उल्लेख ही था! फिर भीयह आर्टिकल बाद में संविधान से जोड़ दिया गया। उसमें लिखा था.....

कि राज्य यह तय करे कि जम्मू और कश्मीर का स्थाई निवासी कौन है,?

राज्य यह तय करें किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा ?

राज्य यह तय करे कि किसे संपत्ति खरीदने का अधिकार होगा ?

राज्य यह तय करे कि किसे जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट डालने का

अधिकार देगा ?

राज्य यह तय करें कि छात्रवृत्ति तथा अन्य सार्वजनिक सहायता और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलेगा ?

Copyright © 2020 Authors

ISSN : 2249-6661
Vol - 43 No. - 04 (XII) October-December (2020)

अब प्रश्न यह उठता है कि जब राज्य को यहअधिकार दे दिए गए तो फिरजम्मू और कश्मीर में राजनीतिज्ञों को अपनी मनमानी करने का एक हथियार मिलगया ।इस आधार पर उन्होंने तब राज्य का अपना संविधान बना लिया ।इसमें कहागया कि जम्मू कश्मीर का स्थाई नागरिक वह व्यक्ति है.....

1. जो 14 मई सन 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या फिर उससेपहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो। साथ ही उसने वहां संपत्ति हासिलकी हो।
2. दूसरी बात यह कही गई कि भारतके किसी अन्य राज्य का निवासी जम्मू और कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं बनसकता है और इसी कारण वह वहां वोट नहीं डाल सकता है ।
3. तीसरी बात बताई गई कि राज्य किसी गैर कश्मीरी व्यक्ति को कश्मीर में जमीन खरीदने से रोक सकता है ।
4. चौथी बात थी अगर जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर केलड़के से विवाह करेगी तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे ,साथ ही उसकेबच्चों के अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। इसके उपरांत राज्य सरकार किसी कानूनको अपने हिसाब से बदलती है तो उसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जासकती और अंतिम बात थी ...
5. कोई भी बाहरी व्यक्ति राज्य में व्यापारिक संस्थान नहीं खोल सकता है।

इस प्रकार यदि हम देखें तो कानून की आड़ में राज्य सरकार ने देशके विभाजन के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को जोकि मुस्लिम थे उन्हें जम्मू और कश्मीर की नागरिकता दे दी थी लेकिन हिंदू औरसिखों को इससे वंचित रखा। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में विवाह करने वालीमहिलाओं और अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भी जम्मू और कश्मीर सरकारअनुच्छेद 35A की आड़ लेकर भेदभाव करती है ।यदि कोई मुसलमान किसी बाहरीलड़की से विवाह कर लेता है तो उसे वहां का नागरिक मान लिया किंतु जब कोईहिंदू ऐसा करता है तो उसे वहां का नागरिक नहीं माना जाता। सन 1989 तक राज्यमें स्थिति शांत रही ।लेकिन राज्य में विकास की गति बाद में तेज हो चलीथी। वहां का पर्यटन भी अपनी चरम सीमा पर था। उसके उपरांत सन 1990 सेकश्मीर घाटी में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। इससे राज्य की स्थिति बदलगई ।तब से अब तक इस राज्य को वहां के कट्टरपंथियों और राजनीतिज्ञों ने एकबार फिर से इस स्थान को विवादित और अशांत स्थान बना दिया। क्योंकि वे चाहतेहैं कि राज्य शांत ना होने पाए और कभी भी वहां से 35A और धारा 370 हटाए हीन जा सकें! इस प्रकार यह माना जाता है कि भारत की संसद राज्य सभा औरराष्ट्रपति मिलकर धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने की शक्ति रखते हैं।

आइएअब देखें कि इसका विरोध कब से शुरू हुआ और इसे कब हटाया गया ?कहते हैं किनेहरू के दौर में ही कांग्रेस पार्टी में इसका विरोध होने लगा था। संविधाननिर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी ने इसका घोरविरोध किया था। उन्होंने इसके लिए एक मसौदा भी तैयार किया था लेकिन उनकीबात को माना नहीं गया और वह अपने इस मसौदे को लेकर अब्दुल्लाह नेहरू के पासभी गए और नेहरू के निर्देश पर एंड गोपाल स्वामी अयंगर ने फिर मसौदा तैयारकिया ।भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू से हीअनुच्छेद 370 का विरोध किया था ।उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीणाभी उठाया था ।उनको ज्ञात था कि भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है।उन्होंने इस कानून के खिलाफ भूख हड़ताल भी की थी 11 सितंबर सन 1964 कोप्रकाशवीर शास्त्री ने अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए एक प्रस्ताव भी संसदमें पेश किया था ।जिसका जवाब भारत के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 4 दिसंबर 1964 को जवाब भी दिया था और उन्होंने एक तरफा रुख अपनाया था।

कहनेका तात्पर्य है कि आरंभ से ही इसका विरोध हो रहा था लेकिन सफलता मिली 5 अगस्त सन 2019 को ।भारत सरकार ने जब यह तय किया तो यह एक ऐतिहासिक दिन बनकररह गया ।प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासितक्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया ।जम्मू कश्मीर केंद्रशासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वालीकेंद्र शासित क्षेत्र होगा ।धारा 370 के संबंध में यदि कुछ विशेष बातेंजाननी हो तो वे इस प्रकार हैं ....कि धारा 370 अपने भारत के संविधान का अंगहै ।यह धारा संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है, जिसका शीर्षकहै-"अस्थायी ,परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान"।धारा 370 के तहत जो प्रावधानहै उसमें समय - समय पर परिवर्तन किया गया है ,जिसका आरंभ 1954 से हुआ।इसीलिए 1954 का महत्व बढ़ जाता है कि 53 में उस समय के

Copyright © 2020 Authors

मीर के वजीरेआजम शेख अब्दुल्ला जो जवाहरलाल नेहरू के अंतरंग मित्र थे को गिरफ्तार करबंदी बनाया गया था ।यह सारे संशोधन जम्मू कश्मीर के विधानसभा द्वारा पारितकिए गए।

इस प्रकार 6 अगस्त को लोकसभा में भी जम्मूकश्मीर पुनर्गठन बिल और अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पास हो गया। यहदेश में एक ऐतिहासिक फैसला था। आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जम्मूकश्मीर और लद्दाख दोनों को अपने -अपने अधिकार प्राप्त हुए और इन दोनों काविकास निरंतर संभव होगा ।सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करोड़ोंदेशभक्तों का सपना पूरा हो गया और यहीं से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिएएक नए युग की शुरुआत हो गई ।इस प्रकार धारा 370 का इतिहास आपके सम्मुख रखनेका दुस्साहस सरल शब्दों में मैंने किया। आशा है मेरा विषय आप तक पहुंच गयाहोगा।

संदर्भ सूची -

1. अख्तर रेस कृत विलियम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इंडिया इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका
2. के वेंकटरमनन how the status of Jammu and Kashmir is being changed the Hindu
3. India today 18 August 2014
4. The times of India 4th April 2018
5. द इकोनॉमिक टाइम्स फॉरगेट 2019
7. एनडीटीवी न्यूज़ रिफरेंस 5th August 2019
8. एक्सटर्नल लिंक्स- द कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ ऑर्डर 1950 गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिवाइव्स 11th May 2017

❑❑❑